

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

जयपुर, दिनांक- 18/01/2023

क्रमांक- एफ 22(1)()विस/15वीं/आईसीडीएस/2020/ 8432

परिपत्र

15वीं राजस्थान विधानसभा का अष्टम सत्र (बजट) दिनांक 23-01-2023 से प्रारम्भ हो रहा है। अतः समस्त उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त परियोजनाओं कार्यालयों को कार्यदिवसों एवं राजपत्रित अवकाशों में कार्यालय समय पूर्व एवं पश्चात् जिम्मेदार कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करें, जो कि वांछित विधानसभा की सूचना उपलब्ध करा सके जिससे कि विधानसभा प्रश्नों से संबंधित सूचना समय पर निदेशालय को प्राप्त हो सके एवं तदनुसार विधानसभा में वांछित सूचना एवं प्रश्नों के प्रत्युत्तर समय पर भिजवाये जा सकें। साथ ही विधानसभा प्रश्न के उत्तर मय संबंधित सूचना जिला स्तर पर संकलित कर शीघ्र प्रतिशीघ्र ईमेल आईडी icds.vidhansabha@rajasthan.gov.in पर सॉफ्ट कॉपी भिजवाते हुए हार्डकॉपी भी भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
जयपुर, 18/01/2023

क्रमांक- एफ 22(1)()विस/15वीं/आईसीडीएस/2020/8432-65
दिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(आई) समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
3. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
4. उप निदेशक (एसीपी), मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक(आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Meena
Meena
Designation: ...
Date: 2023.01.18 9:01:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3055108

8

